FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट श्रीमाधोपुर (सीकर) राज.

मन्दिर श्री रूघनाथजी बनाम बनवारी लाल वगै0

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी, मुकदमा नम्बर 51/2019 नं. .... सन् ....

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.03.2021	पत्रावली आज निर्णय हेतु पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में बहस वकील प्रार्थी एक पक्षीय पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रकरण में अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। वकील प्रार्थी के निवेदन पर पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। अवलोकन करने पर पाया गया कि प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 478 रकबा 0.100 हैक्टर, 479 रकबा 2.1000 हैक्टर, 480 रकबा 1.5300 हैक्टर, 481 रकबा 0.1700 हैक्टर, 547 रकबा 1.0900 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर में स्थित है। जिसके प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है। प्रार्थी ने अपनी खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि का विधिवत तरीके से सीमाज्ञान दिनांक 26.06.2019 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर के आदेश पर पटवारी हल्का करड़का के द्वारा मौके पर जाकर करवाया गया है। जिसकी फोटो प्रतिलिपि संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 दक्षिणी पश्चिमी दिशा के एंव अप्रार्थी सं. 3 उत्तरी दिशा का पड़ौसी खातेदार काश्तकार है जो आये दिन प्रार्थी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि की सींव डोल नष्ट कर अतिक्रमण करने पर उतारू रहता है। इसलिए प्रार्थी अपनी उक्त भूमि की मौका रिपोर्ट दिनांक 26.06.2019 के अनुसार पत्थरगढ़ी व सीमांकन करवाने का निवेदन किया है। वकील प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र व उपलब्ध दस्तावेजात् यथा फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान बाबत	

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.03.24 13:04:20 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व ... अहकाम ... हुक्म की ... में जारी ...
	मन्दिर श्री रूघनाथजी बनाम् बनवारी लाल वगै0 प्रार्थना पत्र पत्थरगढ़ी, मुकदमा इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है। अतः ऐसी स्थिति में प्रकरण में पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किया जाना उचित समझता हूॅ। वकील प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाता है तथा प्रकरण में पटवारी हल्का करड़का द्वारा दिनांक 26.06.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक कृषि भूमि खसरा नम्बर 478 रकबा 0.100 हैक्टर, 479 रकबा 2.1000 हैक्टर, 480 रकबा 1.5300 हैक्टर, 481 रकबा 0.1700 हैक्टर, 547 रकबा 1.0900 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही किए जाने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि वे पत्थरगढ़ी की फीस भू.अ.निरीक्षक फीस 900/- रूपये एंव दो पटवारियान् की फीस 600/- रूपयें प्रति पटवारी की दर से 1200/-रूपये कुल 2100/- रूपयें जरिये चालान राज्य कोष में जमा ली जावें तथा मूल चालान की प्रति पेश होने पर पटवारी हल्का करड़का द्वारा दिनांक 26.06.2019 को किए गए सीमाज्ञान के मुताबिक वर्तमान भौतिक मौका स्थिति में बिना परिवर्तन किये व सींव डोल को बिना हिलाये (प्रकरण में अंकित खसरा नम्बरान् पर किसी दीगर न्यायालय का कोई स्थगन आदेश प्रभावी नहीं हो तो) पत्थरगढ़ी की कार्यवाही करने हेतु तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर) यह निर्णय आज मेरे द्वारा लिखाया जाकर दिनांक 19.03.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया। (लक्ष्मीकान्त गुप्ता) उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxmi Kant Gupta
Date: 2021.03.24 13:04:20 IST
Reason: SelfAttested